

पूंजी निधियों, जोखिम आस्तियों/एक्सपोजर और जोखिम आस्ति अनुपात का विवरण

भाग ए – पूंजी निधि और जोखिम आस्ति अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

I	पूंजी निधियाँ	
ए	स्तर 1 पूंजी तत्व	
	(ए) भुगतान की गई पूंजी	
	घटा: अमूर्त आस्तियां और हानियां	
	कुल	
	(बी) आरक्षित निधि और अधिशेष	
	1. सांविधिक आरक्षित निधि	
	2. आरक्षित पूंजी (नीचे दिए गए नोट को देखें)	
	3. शेयर प्रीमियम	
	4. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (इस मास्टर निदेश के पैरा 6.1.1(एफ) को देखें)	
	5. निर्बंध आरक्षित निधि	
	6. लाभ और हानि खाते में शेष *	
	(सी) बेमियादी कर्ज लिखत (पीडीआई)	
	कुल स्तर 1 पूंजी	
	नोट: आस्तियों की बिक्री पर अधिशेष को दर्शाने वाली आरक्षित पूंजी और जो एक अलग खाते में रखे गए हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा।	
	सामान्य/अस्थायी प्रावधान और ऋण हानियों और अन्य आस्ति हानियों या किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए किए गए विशेष प्रावधान पूंजी निधियों के रूप में नहीं माने जाएंगे। * किसी भी लाभ और हानि खाते में शेष (निवल) अर्थात्, लाभांश अदा करने, शिक्षा निधि, अन्य निधियों, जिनका उपयोग परिभाषित है और अगर कोई आस्ति हानि है, के लिए आवंटन के बाद का शेष। अगर लाभ और हानि खाते में शेष नकारात्मक है, तो उसी को घटा दिया जाएगा।	
बी	टियर 2 पूंजी के तत्व	
	(i) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि #	
	(ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	

	(iii) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (इस मास्टर निदेश के पैरा 6.1.1(एफ) को देखें)	
	कुल स्तर 2 पूंजी	
सी	कुल पूंजी निधि (ए + बी)	
II	जोखिम भारित आस्तियां	
(ए)	निधि जोखिम आस्तियों का समायोजित मूल्य, यानी तुलन-पत्र मदों का (भाग 'बी' के साथ मिलान हेतु)	
(बी)	गैर-निधिक और तुलनपत्रत्रेतर मदों के समायोजित मूल्य (भाग 'सी' के साथ मिलान हेतु)	
(सी)	कुल जोखिम-भारित आस्तियां (ए+ बी)	
III	जोखिम-भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधियों का प्रतिशत [आई(सी) / II(सी)]	
# मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान शामिल हैं		

भाग बी – जोखिम भारित आस्तियां अर्थात् तुलनपत्रत्रेतर मदें

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.		बही मूल्य	जोखिम-भारित	समायोजित मूल्य
I	नकदी और बैंक शेष राशि			
(ए)	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)			
(बी)	भारत में बैंकों के साथ शेष राशियाँ			
	(i) आरबीआई के साथ शेष राशियाँ			
	(ii) बैंकों के साथ शेष राशियाँ			
	ए. चालू खाता (भारत में और भारत के बाहर)			
	बी. अन्य खाते (भारत में और भारत के बाहर)			
	सी. अन्य आरबीआई के साथ चालू खाता शेष			
II	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
III	निवेश			
	(ए) सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ *			
	(बी) अन्य (दिए गए मूल्यहास को घटाकर)			
IV	अग्रिम **			

क्र. सं.		बही मूल्य	जोखिम-भारित	समायोजित मूल्य
	ऋण और अग्रिम, खरीदे और भुनाए गए बिल और अन्य क्रेडिट सुविधाएं			
	(ए) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे			
	(बी) राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत दावे			
	(सी) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे			
	(डी) राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे			
	(ई) अन्य			
	नोट: 1. निवल निर्धारण केवल उन अग्रिमों के लिए किया जा सकता है जो नकद मार्जिन या जमा द्वारा संपार्श्विकीकृत हैं और उन आस्तियों के संदर्भ में जहां अशोध और संदिग्ध कर्ज के लिए मूल्यहास प्रावधान किया गया है। 2. जिन अमूर्त आस्तियों के लिए हानियों को स्तर 1 पूंजी से घटाया गया है, उन्हें शून्य भार सौंपा जाना चाहिए।			
V	परिसर(दिए गए मूल्यहास को घटाकर)			
VI	फर्नीचर और जुड़नार (दिए गए मूल्यहास को घटाकर)			
VII	अन्य आस्तियां (शाखा समायोजन, गैर-बैंकिंग आस्तियों आदि सहित)			
	कुल			
*, यदि कोई प्रावधान , सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेशों में मूल्यहास के लिए किया गया है, तो उसे एक फुटनोट के माध्यम से शामिल किया जा सकता है। * अशोध और संदिग्ध कर्ज के लिए किया गया प्रावधान , चाहे सामान्य हों या विशेष, को फुटनोट के माध्यम से दर्शाया जा सकता है।				

भाग सी – जोखिम भारित अनिधिक एक्स्पोजर/तुलनपत्र बाह्य मदें

प्रत्येक तुलनपत्र बाह्य मदों को नीचे दर्शाए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(राशि रु. करोड़ में)

मद की प्रकृति	बही मूल्य	संपरिवर्तन कारक	समान मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य